<u>न्यायालय जिला न्यायाधीश, बून्दी (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी : **संदीप कुमार शर्मा,** आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी अपील संख्या : **71/2018**

रामलक्ष्मण पुत्र किशन, उम्र 36 वर्ष, निवासी देलुन्दा,
तहसील एवं जिला बून्दी (राजस्थान)

-अपीलार्थी/वादी

<u>बनाम</u>

1. गोबरी बाई पत्नी कस्तूर चन्द
2. कस्तूरचन्द पुत्र नेनगा
3. सुवालाल पुत्र कस्तूरचन्द
4. हंसराज पुत्र कस्तूरचन्द
5. भंवरलाल पुत्र श्रीकिशन

निवासीगण देलुन्दा तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)

-प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण

<u>तत्कालीन सिविल न्यायाधीश, बून्दी श्री निखिल कुमार नाड, आर.जे.एस. द्वारा दीवानी वाद संख्या 48/2012 (सी.आई.एस. नम्बर 995/2014) बउनवान रामलक्ष्मण बनाम गोबरी बाई व अन्य में दिनांक 25.07.2018 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील.</u>

<u>उपस्थित :-</u>

1. श्री रामदत्त शर्मा, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी की ओर से
2. श्री बृजमोहन गौतम, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से

<u>नि र्ण य</u> **<u>दिनांक : 12.03.2026</u>**

1. अपीलार्थी/वादी ने हस्तगत दीवानी अपील विद्वान सिविल न्यायाधीश, बून्दी द्वारा दीवानी वाद संख्या-48/2012 सी.आई.एस. नम्बर 995/2014 बउनवान रामलक्ष्मण बनाम गोबरी बाई व अन्य में पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत वाद विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज कर दिया।

Authenticated Document

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी रामलक्ष्मण द्वारा दिनांक 30.03.2012 को प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का एक वाद सिविल न्यायाधीश, बून्दी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के संयुक्त कब्जे की कृषि भूमि खसरा संख्या 277 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम अजेता तहसील एवं जिला बून्दी में स्थित है, जिसे उन्होंने करीब 15-16 वर्ष पूर्व फाड तोडकर पड़त से आबाद किया एवं काबिल काश्त बनाया, जिसमें उनकी काफी रकम खर्च हो गई। तत्पश्चात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 संयुक्त रूप से उक्त भूमि को निरन्तर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। काश्तकारी में उडद, गेंहू, स्यालू, उंदालू की गेंहू की फसल पूर्व में बोई थी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 भी अपनी ताकत के बल पर कानून हाथ में लेकर वादी व प्रतिवादी संख्या 5 को बलपूर्वक उनके भूखण्ड से बेदखल करने पर आमादा हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे संयुक्त वर्णित आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 5 के द्वारा बोई हुई एवं खडी हुई गेंहू की फसल में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें और ना ही बिना विधिक कार्यवाही के उन्हें जबरन एवं बलपूर्वक भूखण्ड से बेदखल करें।

3. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी 5 की ओर से जबाव प्रस्तुत कर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए वादी के पक्ष में वाद डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 की ओर से जबाव प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया कि ग्राम अजेता की भूमि खसरा संख्या 277 रकबा 5 बीघा, जो इस वाद में विवादित भूमि है, को वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व. नहनका ने पडत से काश्त योग्य बनाया था। उनकी मृत्यु के बाद 5 बीघा भूमि पर उनके दोनों पुत्र श्रीकिशन एवं कस्तूर चन्द का बराबर हिस्सा था और दोनों ढाई-ढाई बीघा पर काबिज होकर काश्त कर रहे थे। दावा प्रस्तुत करने के वर्ष में भी दोनों ने ढाई-ढाई बीघा में गेंहू की फसल काटी एवं बोई थी। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का 40 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि को प्रतिवादीगण ने ही फाडा था एवं काफी रकम लगाकर कृषि योग्य बनाया था, जिसमें आधे हिस्से में

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ने जबरन कब्जा कर लिया है और पटवारी हल्का से मिलीभगत करके खसरा परिवर्तनशील में भी अपना नाम दर्ज करा लिया है। वादी द्वारा उसके वाद पत्र में झूठे कथन किये गये हैं क्योंकि 15-16 वर्ष पूर्व वादी की उम्र मात्र 14 वर्ष थी। अन्त में वादी द्वारा झूठे एवं असत्य आधारों पर प्रस्तुत किये गये वाद को मय कॉस्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये:-

(1) आया विवादित भूमि खसरा संख्या 277 के सम्पूर्ण 5 बीघा क्षेत्र पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 पन्द्रह-सोलह वर्षों से काबिज काश्त हैं ?

--वादी

(2) आया प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 वादी व प्रतिवादी संख्या 5 को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं ?

--वादी

(3) अनुतोष ?

6. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/वादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं को बतौर पी.डब्ल्यू.01 एवं अन्य गवाह पी.डब्ल्यू-2 रामचरण के बयान लेखबद्ध करवाये गये एवं प्रलेखीय साक्ष्य में सत्यप्रति खसरा परिवर्तनशील प्रदर्श-1, धारा 91 का नोटिस प्रदर्श-2, पेनल्टी की रसीद प्रदर्श-3 व 4, धारा 91 के नोटिस प्रदर्श-5 व प्रदर्श-6 प्रदर्शित करवाये गये।

7. जबकि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 ने अपने पक्ष समर्थन में मौखिक साक्ष्य में डी.डब्ल्यू-1 हंसराज व डी.डब्ल्यू.2 गोबरी बाई को परीक्षित करवाया किन्तु प्रालेखीय साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाये गये।

8. कालान्तर में विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर अपीलार्थी/वादी रामलक्ष्मण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि :-

(1) विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री कानून

एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है।

(2) विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर नहीं कर उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने में कानूनी भूल की है।

(3) प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 द्वारा कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किये गये, हंसराज व गोबरी बाई के कथन लेखबद्ध करवाये गये जो स्वयं वाद में प्रतिवादी थे, उनके विरोधाभासी बयानों की पुष्टि स्वतंत्र गवाह से नहीं होते हुए थी विद्वान विचारण न्यायालय ने उनके बयानों पर विश्वास कर उक्त निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में कानूनी भूल की है।

(4) दस्तावेजी साक्ष्य अपीलार्थी/वादी के पक्ष में होने एवं उसके खण्डन में प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद विवाद्यक संख्या 01 अपीलार्थी/वादी के विरूद्ध निर्णीत की गई है, जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से विपरीत निष्कर्ष होने से उक्त निर्णय एवं डिक्री निरस्तनीय है।

(5) विवाद्यक संख्या 02 तथ्यात्मक विवाद्यक है। वादग्रस्त भूमि सिवायचक भूमि है और सिवायचक भूमि के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति रेवेन्यू कोर्ट में दावा लाने का अधिकारी नहीं है। ट्रेस पासर दूसरे व्यक्ति के विरूद्ध दीवानी न्यायालय में ही दावा पेश करने का अधिकारी है, जिस पर कोई गौर नहीं कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो निरस्तनीय है।

(6) धारा 92ए व 188 आर.टी.एक्ट के तहत केवल खातेदार ही राजस्व न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा का दावा दायर करने का अधिकारी है परन्तु वादग्रस्त भूमि सिवायचक भूमि होने से ट्रेस पासर को धारा 92ए व 188 आर.टी. एक्ट के तहत राजस्व न्यायालय में दावा दायर करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है फिर भी विवाद्यक संख्या 02 अपीलार्थी/वादी के विरूद्ध एवं प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के पक्ष में निर्णीत किया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है।

(7) विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत कानूनी नजीरों का कोई विश्लेषण एवं विवेचन नहीं किया गया है।

Authenticated Document

अन्त में अपीलार्थी/वादी की अपील स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

9. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी एवं प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

10. अपीलार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी मौखिक बहस के दौरान अपील याचिका में उठाये गये आधारों की ही पुनरावृत्ति करते हुये मुख्यतः यह व्यक्त किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री कानून एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है, क्योंकि प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 द्वारा कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किये गये है तथा स्वयं प्रतिवादी हंसराज व गोबरी बाई के कथन लेखबद्ध करवाये गये है, जिनके विरोधाभासी बयानों की पुष्टि स्वतंत्र गवाह से नहीं होती है। दस्तावेजी साक्ष्य अपीलार्थी/वादी के पक्ष में है तथा उसके खण्डन में प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 द्वारा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। उनका यह भी कथन रहा है कि वादग्रस्त भूमि सिवायचक भूमि है और सिवायचक भूमि के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। ट्रेस पासर दूसरे व्यक्ति के विरूद्ध दीवानी न्यायालय में ही दावा पेश करने का अधिकारी है एवं धारा 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत केवल खातेदार ही राजस्व न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा का दावा दायर करने का अधिकारी है परन्तु वादग्रस्त भूमि सिवायचक भूमि होने से ट्रेस पासर को धारा 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है।

11. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के तार्किक विश्लेषण पर आधारित होना बताते हुये आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं होने एवं तदनुसार हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज

किये जाने का निवेदन किया है।

12. उभयपक्ष के तर्को पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है तथा अभिलेख का भी सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

13. इस न्यायालय की सुविचारित राय में हस्तगत अपील के सही एवं न्यायपूर्ण निर्णय के लिये निम्न बिन्दु विचारणीय है:-

''आया विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2018 पारित कर अपीलार्थी/वादी का वाद खारिज करने में कोई तथ्यात्मक या कानूनी भूल की है ?"

14. इस सम्बन्ध में अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.07.2018 के माध्यम से वादी के स्थायी निषेधाज्ञा के वाद को अस्वीकार कर खारिज किया है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील याचिका में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी की ओर से लिये गये आधारों पर अवलोकन करने पर यह स्पष्ट रहा है कि अपीलार्थी/वादी रामलक्ष्मण की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा का एक वाद प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था, जिसका प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से यह अभिवचन किया गया था कि विद्वान विचारण न्यायालय को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि उक्त वाद सिवायचक भूमि से सम्बन्धित है एवं उक्त वाद कृषि भूमि से सम्बन्धित होने से राजस्व न्यायालय को ही उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

15. इस सम्बन्ध में अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद की श्रवणाधिकारिता के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर कोई विवाद्यक विरचित नहीं किया गया तथा केवल वादी के अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कर गुणावगुण के आधार पर वाद का विचारण करते हुए विवाद्यक संख्या 02 के विवेचन के उपरान्त एक अतिरिक्त पैरा में यह उल्लिखित किया है कि वादी का वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है, क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के अनुसार अधिनियम की अनुसूची तीन में वर्णित समस्त अनुतोष को प्रदान करने का क्षेत्राधिकार मात्र

राजस्व न्यायालय को है। अनुसूची तीन में धारा 92ए एवं धारा 188 दोनों ही धारा निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में अनुतोष की बात करती हैं और हस्तगत वाद में वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्व भूमि के सम्बन्ध में ही निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है, इसलिए हस्तगत वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर राजस्व न्यायालय को है। इस प्रकार आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट रहा है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद की श्रवणाधिकारिता के सम्बन्ध में पृथक से विवाद्यक विरचित किया जाकर उस पर उभय पक्ष की साक्ष्य के उपरान्त विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना विधितः अपेक्षित था।

16. ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर इस प्रकरण के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किया जाना न्यायोचित नहीं है किन्तु इस न्यायालय की सुविचारित राय में इस वाद में प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर वाद की श्रवणाधिकारिता के सम्बन्ध में पृथक से विवाद्यक विरचित किया जाकर, यदि उभय पक्ष द्वारा कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की जाती है, तो उन्हें उसका अवसर प्रदत्त करते हुए उक्त परिप्रेक्ष्य में नये सिरे से विधिनुरूप निर्णय पारित करने हेतु विद्वान विचारण न्यायालय को मामले को रिमाण्ड किये जाने पर ही न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी।

<u>आ दे श</u>

17. अतः अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत की गई हस्तगत दीवानी अपील अंशतः स्वीकृत की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश, बून्दी (राज0) द्वारा दीवानी वाद संख्या 48/2012, सी.आई.एस. संख्या 995/2014 बउनवान रामलक्ष्मण बनाम गोबरी बाई व अन्य में पारित किये गये आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2018 को अपास्त करते हुए, इस प्रकरण को उक्त विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति-प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि वे इस वाद में प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर वाद की श्रवणाधिकारिता के सम्बन्ध में पृथक से विवाद्यक विरचित किया जाकर, यदि उभय पक्ष द्वारा कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की जाती है, तो उन्हें उसका अवसर प्रदत्त करते हुए

उक्त परिप्रेक्ष्य में नये सिरे से यथाशीघ्र विधिनुरूप निर्णय पारित करें। पक्षकारान् को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.4.2026 को उपस्थित हों।

18. इस निर्णय की प्रति सहित विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली उक्त न्यायालय को अनुपालनार्थ अविलम्ब प्रेषित की जाये।

(संदीप कुमार शर्मा)
जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

16. निर्णय आज दिनांक 12 मार्च, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

THAKUR SINGH
"Authenticate Document"
Digitally signed by THAKUR SINGH
Date: 2026.03.12 17:42:49 +0530

जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

Authenticated Document